भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *389

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

'आजी' बांध की जल संग्रहण क्षमता

*389. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार द्वारा 'आजी' बांध की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ साझेदारी करके कार्यान्वित किए गए/कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''आजी' बांध की जल संग्रहण क्षमता' के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *389 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

भारत सरकार विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की वित्तीय सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण-II और III क्रियान्वित कर रही है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) के अंतर्गत, महत्वपूर्ण जलाशयों की कम हुई क्षमता की हर संभव सीमा तक बहाली के लिए, आवश्यकता के आधार पर, गाद निकालने और तलछट प्रबंधन कार्य शुरू करने का प्रावधान है।

गुजरात जल संसाधन विभाग, ड्रिप योजना के अंतर्गत भाग लेने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। ड्रिप चरण- II और III योजना में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, गुजरात के छह बांधों की 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुरक्षा में सुधार करने संबंधी प्रावधान मौजूद है। गुजरात जल संसाधन विभाग द्वारा उसके जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने/संवर्धन करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। सौनी योजना के अंतर्गत राजकोट शहर में पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उल्लेख किया गया है, कि केवल आजी बांध/जलाशय में संग्रहित जल का ही उपयोग किया जाता है।

*****